

भारतीय दंड संहिता की धारा 416

परीक्षाओं में प्रतिरूपण / छद्मरूपण करने पर भारतीय दंड संहिता 416 के तहत

भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के अनुसार, कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है तब वह व्यक्ति एक अपराधी है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 417

भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के अनुसार, जो भी कोई छल करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक दण्ड, या दोनों से दिण्डित किया जाएगा।

Section 416 of the Indian Penal Code

IMPERSONATION IN EXAMINATIONS IS LIABLE TO BE PUNISHED UNDER INDIAN PENAL CODE 416

A person is said to "cheat by personation" if he/ she cheats by pretending to be some other person, or by knowingly substituting one person for - another, or representing that he/ she or any other person is a person other than he/ she or such other person really is.

Section 417 of the Indian Penal Code

Under Section 417 of the Indian Penal Code a person will be Punished for cheating, i.e., Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.